



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 22.10.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा नवयुग मार्किट से अवैध अतिशबाजी (पटाखे) बरामद

दिपावली व अन्य त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.10.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नवयुग मार्किट की संकरी गलियों में एक व्यक्ति द्वारा अपने गोदाम पर अवैध रूप से पटाखों का भण्डारण किया गया है। तथा जिस स्थान पर यह भण्डारण किया गया है सुरक्षा के मानकों का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर किया गया है। सूचना के आधार पर सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली द्वारा थाना कोतवाली पुलिस टीम के साथ अचानक चेकिंग की गयी तो नवयुग मार्किट की संकरी गली में बने गोदाम में रखे अवैध रूप से भारी मात्रा में आतिशबाजी पटाखे जिसकी कीमत करीब 40 से 50 लाख बरामद हुए हैं। कोई व्यक्ति वैध लाइसेंस के साथ मौजूद नहीं मिला है। एक व्यक्ति जो स्कूटी पर खड़ा था पुलिस टीम को देख फरार हो गया। अवैध अतिशबाजी (पटाखों) को पुलिस टीम की मदद से कब्जा पुलिस लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ पर उक्त अवैध पटाखों के भण्डारण के स्वामी का नाम मोहक बताया गया है। जिसकी तलाश की जा रही है साथ ही उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- 1- पॉप पॉप मिक्की माउस -15 कार्टून
- 2- WONDER TROW -10 कार्टून
- 3- LEPARD KING – 03 कार्टून
- 4- SMURFS 03 कार्टून।
- 5- अन्य विभिन्न प्रकार के करीब 69 कार्टून – करीब 100 कार्टून

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों को भण्डारण कर बेचने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों से भरे 63 कार्टन व 01 प्लास्टिक का बोरा बरामद।

दिनांक 21/22.10.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम मकनपुर में हनुमान मंदिर के पास दुकान के अंदर अवैध पटाखों का भण्डारण कर बेचने वाला अभियुक्त माजिद पुत्र खुर्शीद निवासी म0न0 482 सैक्टर 12 संतोष मेडिकल कॉलेज के

पास प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों से भरे 63 कार्टन व 01 प्लास्टिक का बोरा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त माजिद पुत्र खुर्शीद उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त माजिद पुत्र खुर्शीद उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैंने इन पटाखों का आगामी दिवाली के त्यौहार पर बेचने के लिए दादरी नोएडा से सस्ते पैसों में खरीदकर भण्डारण (इकट्टा) किया था। इन पटाखों को अधिक पैसों में बेचकर अधिक मुनाफा कमाने चाहता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

माजिद पुत्र खुर्शीद निवासी म0न0 482 सैक्टर 12 संतोष मैडिकल कालेज के पास प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों से भरे 63 कार्टन व 01 प्लास्टिक का बोरा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान 01 कूलर की बाडी, 02 टीन की चादर, 02 गाटर, 01 समरसिवल का स्टार्टर, 01 लोहा काटने का कटर, 01 सब्बल व 01 सरिया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन छोटा हाथी बरामद।

दिनांक 06.10.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 04.10.2024 की रात्रि में ग्राम भीकनपुर ईस्टर्न पेरीफेरल के पास पिग फार्म में से गेट, कूलर, गाटर, टीन चादर, स्टार्टर व अन्य सामान चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुंसगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.10.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तो 1. सुधीर पुत्र राकेश निवासी महेन्द्रा इन्कलेव शास्त्री नगर थाना कविनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम मालेगांव थाना सकीट जिला एटा 2. वसीम पुत्र नईम निवासी बाम्बे कालोनी नंदग्राम थाना नंदग्राम गाजियाबाद मूल निवासी चौरे बाजार चौरे चंदौली थाना भीकापुर जिला फैजाबाद को ग्राम शाहपुर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का सामान 01 कूलर की बाडी, 02 टीन की चादर, 02 गाटर, 01 समरसिवल का स्टार्टर, 01 लोहा काटने का कटर, 01 सब्बल व 01 सरिया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन छोटा हाथी बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि करीब 15-20 दिन पहले हमने अपने साथी अशोक निवासी अर्थला व सलमान निवासी अर्थला गाजियाबाद तथा सलमान पुत्र यामीन निवासी मलिक नगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद के साथ मिलकर ग्राम भीकनपुर ईस्टर्न पेरीफेरल के पास पिग फार्म में से गेट, कूलर, गाटर, टीन चादर, स्ट्रॉटर व अन्य सामान चोरी किया था। छोटा हाथी गाडी में पीछे जो सामान रखा है वो इसी चोरी में से है वाकी अधिकांश सामान दोनों सलमान तथा अशोक ले गए थे। चोरी करने में हम इसी गाडी का प्रयोग करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता -

1. सुधीर पुत्र राकेश निवासी महेन्द्रा इन्कलेव शास्त्री नगर थाना कविनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम मालेगाव थाना सकीट जिला एटा, उम्र करीब 31 वर्ष।
2. वसीम पुत्र नईम निवासी बाम्बे कालोनी नंदग्राम थाना नंदग्राम गाजियाबाद मूल निवासी चौरे बाजार चौरे चंदौली थाना भीकापुर जिला फैजाबाद, उम्र करीब 52 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

चोरी का सामान 01 कूलर की बाडी, 02 टीन की चादर, 02 गाटर, 01 समरसिवल का स्टार्टर, 01 लोहा काटने का कटर, 01 सब्बल व 01 सरिया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन छोटा हाथी बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त वसीम के विरुद्ध गाजियाबाद के भिन्न भिन्न थानों में चोरी के लगभग 10 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त सुधीर के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा छिन्नेती के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.10.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बोर्डर पर एक तहरीर दी गई कि 02 अज्ञात बाइक सवार अभियुक्तों द्वारा वादी के मोबाइल आई-फोन-13 को छीन कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.10.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों, मैन्युअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त बिलाल पुत्र नासिर निवासी डी-38 लक्ष्मी गार्डन निकट जामा मस्जिद थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से छीना गया मोबाइल आई-फोन-13 बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह फोन मैंने तथा मेरे दोस्त अरसद ने थाना लोनी बोर्डर क्षेत्रान्तर्गत परशुराम स्कूल के पास से एक राह चलते व्यक्ति से छीना था। मैं इस मोबाइल को बेचने हेतु ग्राहक की तलाश में यहाँ आया था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

बिलाल पुत्र नासिर निवासी डी-38 लक्ष्मी गार्डन निकट जामा मस्जिद थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

छीना गया मोबाइल आई-फोन-13 बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा नाबालिक लडकी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.06.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा एक लिखित सूचना दी गयी कि उसके पडोस में किराये पर रहने वाला अभियुक्त रविन्द्र कुमार उर्फ रवि द्वारा उसकी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अपहर्ता पीडिता को सकुशल बरामद किया गया तथा पीडिता के मेडिकल परीक्षण एवं पीडिता के बयानों के आधार पर दुष्कर्म की घटना का होना प्रकाश में आया।

आज दिनांक 22.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रविन्द्र कुमार उर्फ रवि पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी कस्बा चडौंस थाना चंडौंस जिला अलीगढ को तिगरी गोल चक्कर थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं वर्ष 2023 में पीडिता के पडोस में किराये पर रहता था तभी से मेरी बातचीत पीडिता के साथ होती रहती थी एवं हमारी काफी गहरी दोस्ती हो गयी तथा हम दोनो आपस में प्रेम करने लगे फिर मैं दिनांक 27.08.2023 को पीडिता को बहला फुसलाकर उसे अपने साथ लेकर चला गया था तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे उक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया था एवं पुलिस ने हम दोनों को ढूंढ लिया तथा पीडिता को उसके परिजनो के सुपुर्द कर दिया था व मुझे जेल भेज दिया था। मैं जब जमानत पर छूट कर वापस आया तो मैंने दोबारा से पीडिता से सम्पर्क किया तथा उसे पुनः बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

रविन्द्र कुमार उर्फ रवि पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी कस्बा चडौंस थाना चंडौंस जिला अलीगढ, उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अपहरण व दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में।

दिनांक 21.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 12.10.2024 को बाल अपचारियों द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन कर भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

तत्पश्चात दिनांक 21.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया जिनके पास से छीना गया मोबाइल बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

बाल अपचारियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोबाइल हमने अपने अन्य 02 साथियों के साथ मिलकर दिनांक 12.10.2024 को एक पैदल जा रहे व्यक्ति से छीना था। आज हम इस फोन को बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस ने हमें अभिरक्षा में ले लिया।

बरामदगी का विवरण-

छीना गया मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

बाल अपचारियों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.10.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बोर्डर पर अभियुक्तगण द्वारा वादी की आँखों के सामने गुलजार अल्वी की ऑफिस के सामने खड़े व्यक्ति मुशरफ पुत्र अहसान को गोली मारकर घायल कर देना तथा उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल इनपुट आदि की मदद ली गयी।

तत्पश्चात कल दिनांक 21.10.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गज्जू पुत्र लालचन्द निवासी आर्यनगर नाईपुरा थाना लोनी बोर्डर, गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गज्जू ने पूछने पर बताया कि साहब मैं और मेरा भाई अजय उर्फ बबलू मिलकर ब्याज पर रुपये देने का काम करते हैं हमने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति मुशरफ को करीब एक साल पहले 40000 रुपये 5 प्रतिशत महीने के ब्याज पर दिये थे जिसका हर महीने के 2000 रुपये ब्याज बनता था। पिछले महीने का ब्याज 2 हजार रुपये मुशरफ ने नहीं दिया था। उसी ब्याज के पैसों को माँगने पर मेरी मुशरफ से कहासुनी हो गयी थी। जिसके बाद मैं घर गया और वहा से तमंचा लेकर अपने भाई अजय उर्फ बबलू के साथ आया और मैंने मुशरफ को गोली मार दी थी।

गिरफ्तार अभि0 से वरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा नाजायज 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

गजेन्द्र उर्फ गज्जू पुत्र लालचन्द निवासी आर्यनगर नाईपुरा थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध 04 अभियोग दिल्ली में तथा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा जिला बंदर अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 22.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बंदर अपराधी सोनू पुत्र दिनेश चौहान निवासी गली नं0 14 कृष्णानगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को कृष्णानगर थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 06.08.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नर गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बंदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

सोनू पुत्र दिनेश चौहान निवासी गली नं014 कृष्णानगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली गाजियाबाद पर लूट से सम्बन्धित तथा थाना विजयनगर पर चोरी से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है तथा धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में, कब्जे से भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी किया गया सामान बरामद।

दिनांक 03.08.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम धेदा कनौजा रोड स्थित परचून की दुकान से इन्वर्टर बैटरी, नहाने के साबुन, स बीडी, सिगरेट आदि चोरी कर ले जाना है तथा दिनांक 29.08.2024 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 28.08.2024 की रात्रि को डाकखाना मुरादनगर से चोरी करने का प्रयास किया गया है तथा दिनांक 21.10.2024 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 20.10.2024 की रात्रि को दुर्मा माता मन्दिर हिसाली रोड से कान्हा जी की मूर्ति अष्टधातु व अन्य सामान चोरी कर ले जाना तथा दिनांक 21.10.2024 को ही अन्य वादी मुकदमा द्वारा थाना पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 20.10.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा अटल द्वार मार्केट ग्राम धेदा स्थित पेन्ट की दुकान के गल्ले से एक चांदी का सिक्का तथा पेन्ट के 46 कूपन तथा पडोस की कपडे की दुकान से 01 जग ताँबे का तथा कुछ नये कपडे कुछ औजार प्लास, पैचकस

आदि व 700 रुपये चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीरों के आधार पर थाना मुरानदगर पर तत्काल सुंसगत धाराओं में अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया ।

तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 21.10.2024 को उपरोक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए उपरोक्त घटना कारित करने वाले 02 शातिर चोर 1. लकी उर्फ लक्ष्य पुत्र अरुण कुमार निवासी गली नं0 01 डायमण्ड स्कूल के पीछे जलालपुर रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद 2. आदित्य उर्फ आदी पुत्र सूरजपाल निवासी मॉडल टाउन कालोनी धैदा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को हिसाली माडल टाउन रोड पर पुरानी कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न जगहों से चोरी का सामान व 400 रुपये बरामद हुए तथा 02 बाल अपचारियों को आज दिनांक 22.10.2024 को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिनकी निशांदाही पर चोरी किया गया सामान बरामद हुआ । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हमने अपने बाल अपचारी साथियों के साथ मिलकर करीब ढाई महीने पहले धैदा कन्नौजा रोड पर श्मशान घाट के सामने जय अम्बे ट्रेडिंग की दुकान से बीडी, सिगरेट, नहाने के साबुन, गुटका तथा इन्वेटर तथा बैटरा चोरी किया था, इन्वेटर तथा बैटरी को हमने चलते फिरते कबाडी को चार हजार रुपये में बेच दिया था और पैसों को बराबर आपस में बांट लिया था जो अब तक खर्च हो गये तथा जो बीडी, सिगरेट, गुटका तथा नहाने के साबुन आदि को आपस में बांट लिया था । तथा करीब 2 महीने पहले हम चारों आर्डिनेंस फैक्ट्री में गोल चक्कर के पास डाकघर में पीछे की तरफ लगे जंगले की सरिया मोडकर चोरी करने के लिए अन्दर घुस गये थे और अलमारियों के ताले तोडकर देखा तो कुछ नहीं मिला था । तथा हम चारो ने मिलकर कल रात में हिसाली रोड दुर्गा जी के मन्दिर की नक्कासीदार दीवार को तोडकर मन्दिर से एक कान्हा जी की मूर्ति व तांबे /पीतल का सामान चोरी किया था तथा उसी रात्रि में अटल द्वार के पास मौजूद पेन्ट की दुकान पर लगे जंगले के सरिये तोडकर उस दुकान के अन्दर घुसकर कूपन व चांदी का सिक्का चोरी किया था तथा पेन्ट की दुकान में एक कपडे का पर्दा लगा था जिसे हटाकर कपडे की दुकान से काफी देर तक ढूढने पर दुकान में रखे, प्लास, पेचकस तथा दुकान के मन्दिर में रखे 700 रुपये तथा एक तांबे का जग चोरी कर लिया था । सारे सामान को तभी हम चारो ने आपस में बांट लिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. लकी उर्फ लक्ष्य पुत्र अरुण कुमार निवासी गली नं0 01 डायमण्ड स्कूल के पीछे जलालपुर रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष ।
 2. आदित्य उर्फ आदी पुत्र सूरजपाल निवासी मॉडल टाउन कालोनी धैदा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष ।
- 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में ।

बरामदगी का विवरण -

भिन्न- भिन्न स्थानों से चोरी किया गया सामान 01 मूर्ति लड्डू गोपाल पीली धातु, 01 कलश (छतिग्रस्त), 01 नाग राज(छतिग्रस्त), 02 दीपक, 02 जोडे तासे, 01 चांदी का सिक्का, 46 कूपन, 01 गैस सिलेण्डर, 03 जोडे तासे, 01 अदद घण्टी, 01 दीपक बडा (छति ग्रस्त), 01 तांबे की छोटी लुटिया , 01 समीपत्र (शिवलिंग पर दूध/जलभिषेक पात्र पिचका/मुड़ा हुआ) व 01 तांबे का जग (छतिग्रस्त), 01 प्लास व 03 पेंचकस व 400 रुपये बरामद ।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्तों व बाल अपचारियों के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी के 04 अभियोग पंजीकृत है अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया से दोस्ती के जाल में फंसाकर अपहरण कर फिरौती माँगने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी, बाल अपचारी की पुलिस हिरासत व लड़की की सकुशल बरामदगी के सम्बन्ध में ।

दिनांक 21.10.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी द्वारा बताया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री दिनांक 20.10.2024 को बाहर दुकान पर जाने की कहकर गई थी, लेकिन काफी समय के बाद भी वापस नहीं आयी जिसको हम लोग तलाश रहे थे, समय करीब 08:20 बजे शाम को एक मोबाइल नम्बर के व्हाट्सएप से वादी के मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सएप कॉल आयी । जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, तुम हमें पाँच लाख रुपये दोगे तब हम तुम्हारी बेटी को छोड़ेंगे अगर तुमने हमें पाँच लाख रुपये नहीं दिये और पुलिस में सूचना दी तो हम तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा टीम गठित कर मुखबिर की सूचना तथा सर्विलांस व मैनुअल इनपुट की सहायता से दिनांक 21.10.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लोहिया पार्क राजेन्द्र नगर गाजियाबाद के सामने खाली पड़े बीएसएनएल के क्वार्टरों से एक अभियुक्त कुनाल शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी म0 नं0 387 एफ 4 एक्स0 01 शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को गिरफ्तार कर व एक बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया । जिनके कब्जे से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त कुनाल शर्मा पुत्र राकेश उपरोक्त व बाल अपचारी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त कुनाल शर्मा पुत्र राकेश उपरोक्त व बाल अपचारी आपस में दोस्त हैं । यह इंस्टाग्राम के माध्यम से सीधी-साधी कम उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती कर उनसे धीरे-धीरे उनके घर से गहने व पैसे मंगाते हैं । वादी की पुत्री से हमारे द्वारा इंस्टाग्राम से दोस्ती कर पहले गहने तथा पैसे मंगाये एवं बाद में दिनांक 20.10.2024 को वादी की पुत्री का अपहरण कर उसके पिता के फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर 05 लाख रुपये की मांग की गयी थी तथा पैसे न देने पर वादी की पुत्री को जान से मारने की धमकी दी थी । इसी प्रकार अन्य लड़की से भी हमने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसके घर रखे गहने मंगाये थे । इन लड़कियों से हमने जो गहने मंगाये उनको बेचकर प्राप्त पैसे से हमने अपने शौक-मौज व खरीदारी में खर्चा किया था, अब पैसे खत्म होने पर वादी की पुत्री का अपहरण कर उसके पिता से पाँच लाख रुपये मांगे थे । जिससे कि आगे अपने शौक पूरे कर सके ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

कुनाल शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी म0 नं0 387 एफ 4 एक्स0 01 शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

अपहर्ता सकुशल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा एक बाल अपचारी पुलिस हिरासत मे व 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद ।

आज दिनांक 22.10.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को रोककर गाड़ी के कागजात की पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि उपरोक्त मोटर साइकिल चोरी की है । तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा एक बाल अपचारी पुलिस

हिरासत व 02 अभियुक्त 1. रोहित पुत्र भीम निवासी म0न019/953 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 2. प्रिंस पुत्र बाहल सिंह निवासी म0न01056 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष को वसुन्धरा रोड़ एलीवेटिड के नीचे हिण्डन पुल से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया और निशानदेही से चोरी की 02 अन्य मोटर साइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र भीम व प्रिंस पुत्र बाहल सिंह उपरोक्त व बाल अपचारी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र भीम व प्रिंस पुत्र बाहल सिंह उपरोक्त व बाल अपचारी उपरोक्त से जो चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद हुई है। वे मोटर साइकिल हम लोगों ने दिनांक 19.10.2024 को आनंद इण्डस्ट्रीयल एरिया से चोरी की व अन्य दो मोटर साइकिल इन्दिरापुरम व शालीमार गार्डन से चोरी की थी। दोनों मोटर साइकिल हम लोगों ने बालाजी बिहार के पास वन के जंगल में छिपा रखी हैं। जिन्हें हम लोग बेचने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. रोहित पुत्र भीम निवासी म0न019/953 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
2. प्रिंस पुत्र बाहल सिंह निवासी म0न01056 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र भीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानीगेट, थाना कोतवाली व महिला थाना में कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।